न्यायालय सहायक कलक्टर (बालोतरा)
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 309 ए/2016

प्रार्थीगण :–

1. चेनाराम पुत्र धर्माराम जाट निवासी सुथारों की ढाणी
2. अणसीदेवी बैवा भंवरलाल जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी
3. केशरलाल पुत्र भंवरलाल जाट निवासी सुथारों की ढाणी
4. नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाट निवासी सुथारों की ढाणी
5. पूनमाराम पुत्र भैराराम जाट निवासी सुथारों की ढाणी
6. भगाराम पुत्र धर्माराम जाट निवासी सुथारों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मेघाराम पुत्र लिखमाराम जाट निवासी सुथारों की ढाणी
2. अन्नुदेवी पत्नि मेघाराम जाट निवासी सुथारों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– 1. श्री लाधुराम चौधरी प्रार्थीगण वकील
2. श्री रूघाराम विप्रार्थीगण वकील

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 26.4.17

प्रार्थीगण ने यह आवेदनपत्र संयुक्त खेत खसरा नं. 444/187 रकबा 57 बीघा व खसरा न0 445/206 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा एवं खसरा नंबर 446/187 रकबा किस्म बारानी सोयम सरहद मौजा सुथारों की ढाणी पटवार क्षैत्र आकडली तहसील पचपदरा दर्ज करने हेतु धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु प्रस्तुत किया है।

आवेदन पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नं0 444/187 रकबा 57 बीघा व खसरा न0 445/206 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा एवं खसरा न0 446/187 रकबा एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 442/187 रकबा 39 बीघा 4 विस्वा व खसरा नबर 443/206 रकबा 30 बीघा 14 विस्वा के खेत सेढा–सेढ आये हुये है। एव पुराना सभी खसरान का एक ही नक्शा ट्रेस था, जिसका रकबा 168 बीघा था, जिसके अलग–अलग टुकडे किये गये। मगर पटवारी द्वारा गलत तरमीम कर देने से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को दिनांक 30.5.2016 को साथ चलकर तहसील कार्यालय एवं हल्का पटवारी से नक्शा ट्रेस से सही तरमीम कराने का कहा तो विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने उसी

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

समय सही तरमीम कराने से मना कर दिया। जिसके कारण अनवान प्रार्थना-पत्र नक्शा ट्रेस सही तरमीम कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है।

विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से वकील उपस्थित ने जबाब पेश कर आरम्भिक आपतिया जाहिर कर निवेदन किया कि विप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का खातेदारी खेत खसरा नं. 103 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा व खसरा न. 442/187 रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा खसरा न. 443/206 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा सरहद मौजा सुथारों की ढाणी में नाप तोल कर नेखमबन्दी कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया जिसका 42/2014 दर्ज किया गया एवं प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया जिसमें प्रार्थीगण को अदालत के जरिये नोटिस तलब किया एवं बाद तामिल विप्रार्थीण सं. 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज लैण्ड रेवेन्यु एक्ट को स्वीकार कर दिनांक 25.01.2016 को आदेश दिया गया जिसमें अदालत के द्वारा भू.अ. निरीक्षक साजियाली व हल्का पटवारी द्वारा मौका देकर मौका फर्द बनाई गई एवं मौके पर विप्रार्थीगण सं. 01 व 02 का नाप तोल किया जिसमें भू. अभिलेख साजियाली द्वारा विप्रार्थीगण स. 01 व 02 के कृषि भूमि पर सही काबिज व तरमीम सुदा भूमि का सही नाप तोल कर नेखम किया गया एवं उसी माफिक विप्रार्थीगण सं. 01 व 02 ने खरीफ की फसल बुआई की गई जिसमें प्रार्थीगण का मौके पर कोई विवाद नही था प्रार्थीगण के द्वारा गलत तथ्य के आधार पर धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण सं. 01व 02 के विरूद्व श्री अदालत में पेश किया जो सही है एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार विप्रार्थीगण सं. 01 व 02 अपने हक हिस्से की भूमि पर कादिमी से कब्जा कास्त किया गया व कब्जा कास्त भूमि की जमाबन्दी नकल व तरमीम सुदा नक्शा ट्रेस अदालत मे पेश किया जो सही है। एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार विप्रार्थीगण सं. 01 व 02 अपने हक हिस्से की भूमि पर कदिम से कब्जा कास्त है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट को मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रकरण का गौर से अवलोकन किया एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं विप्रार्थी के पैरोकार की बहस सुनी।

बाद गौर पत्रावली के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह जाहिर होता हो, कि पूर्व में उक्त खसरों की तरमीम अलग तरीके की रही हो, और वर्तमान में पहले रही, तरमीम से भिन्न एक लिपिकीय त्रुटि कारित हुई हो और ऐसी लिपीकीय त्रुटि को धारा 136 आर.एल.आल एक्ट के तहत दुरूस्ती किया जाना न्यायचित में आश्यक हो, इसके अतिरिक्त मूल खसरे मे से तरमीमी खसरान किस आदेश /निर्णय/ ड्रिकी के माध्यम से बने के बारे मे कोई कथन या दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। यदि मूल खसरा में से तरमीम के आदेश पारित होते वक्त वर्तमान नक्शें अनुसार ही तरमीम के आदेश हुए हो तो उसको धारा 136 आर.एलआर के तहत दुरूस्त या बदला नहीं जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में लिपीकीय त्रुटि हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से वर्तमान प्रकरण धारा 136 आर.एल.आर की परिधि मे नहीं आता है, धारा 136 आर.आर.आर की परिधि बहुत ही समिति है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(प्रभाती लाल जाट)
सहायक कलेक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned by CamScanner